न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021 / 750
मुकदमा नम्बर 184 / 2020

दायर दिनांक : 22–09–2020

सुलोचना पत्नी रोहीताश जाति जाट निवासी ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
– वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया
वकील प्रति. :– राजपैरोकार

दावा : बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 31–08–2021

वाद–पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्ये यह है कि :– वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ़ की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 1036, 1068 रकबा क्रमशः 0.64, 1.47 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.11 हैक्अर स्थित है, जिसमें वादिया का हिस्सा 1/24 इसके अलावा इसी ग्राम में खसरा नम्बर 1454/977, 1455/977, 977 रकबा क्रमशः 0.68, 0.25, 1.00 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.93 हैक्टर स्थित है जिसमें वादिया का हिस्सा 1./96 दर्ज रिकार्ड है।

उक्त आराजी मे वादिया का हक हिस्सो व कब्जे काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। वादिया का सही व वास्तविक नाम सुलोचना पत्नी रोहिताश है। जो वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा भारत सरकार द्वारा जारी आधारा कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा परिवार राशन कार्ड आदि में दर्ज है। वादिया के पति रोहिताश का स्वर्गवास वादिया के ससुर हरलाल के जीवनकाल मे हो गया था। जब वादिया के ससुर हरलाल का स्वर्गवास हुआ जो उनके वैध उतराधिकारी मृतक पुत्र रोहिताश की पत्नी वादिया सुलोचना व मृतक पुत्र की सन्तान विक्रम, धर्मवीर व रेणू एवं हरलाल के पुत्र सुमेर व पुत्री चन्दा, सुभिता सनिता उर्फ छोटी व हरलाल की पत्नी जमना देवी थे, जिनके नाम राजस्व अभिलेख दर्ज हुआ। परन्तु उक्त राजस्व अभिलेख में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक वादिया के नाम का सही सत्यापन किये बिना ही उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व अभिलेख में वादिया का नाम रोशनी देवी पत्नी रोहिताश गलत दर्ज कर दिया जबकि वादिया का सही व वास्तविक नाम सुलोचना पत्नी रोहिताश है। सुलोचना व रोशनी देवी दोनो नामों की एक महिला वादिया है।

राजस्व अभिलेख में वादिया का गलत नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वादिया के नाम का सही सत्यापन नही करने [illegible] अभिलेख में वादिया का नाम रोशनी देवी दर्ज होने से वादिया को अनेक परेशानियों का सामन[illegible]ता है तथा वादिया राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ प्राप्त [illegible] रोशनी देवी पत्नी रोहिताश के स्थान पर वादिया सुलोचना पत्नी रोहिताश [illegible] जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

वादिया को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी [illegible] नही थी वादिया ने हल्क[illegible] से राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की तो वादिया को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी [illegible]सके तुरन्त पश्चात वादिया की ओर से उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त वाद के लिए वाद कारण वादी

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:28 IST
Reason: SelfAttested

को गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा का क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ है। वाद की विषय वस्तु अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित है इसलिए अदालत हाजा को उक्त वाद सुनने का श्रवणाधिकार है।

वादिया द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादिया डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशस की फरमायी जावे कि ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया तहसील नवलगढ जिला की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 1036, 1068, 1454/977, 1455/977, 977 रकबा 0.64, 1.47, 0.68, 0.25, 1.00 कुल किता 05 कुल रकबा 4.04 हैक्टर में रोशनी देवी पत्नी रोहिताश के स्थान पर वादिया सुलोचना पत्नी रोहिताश खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे। अन्य कोई सिद्धी चाही जाने से रह गई हो जो वादिया के पक्ष में हो वो भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी प्रर्याप्त रूप से होने पर इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी नम्बर 01 की ओर से राजपैरोकार द्वारा रिपोर्ट अपने पत्रांक/भू.अ./2021/1330 दिनांक 15.07.2021 द्वारा जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की है कि वादिया का नाम रोशनी देवी पत्नी रोहिताश जाति जाट रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, पैनकार्ड, आधार कार्ड व उपस्थित मौतबिराने से पूछताछ के अनुसार वादिया का नाम सुलोचना पत्नी रोहिताश जाति जाट होना पाया गया है।

जवाब में प्रतिवादी राज पैरोकार द्वारा वाद पत्र के तथ्यों का स्वीकार करने पर प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु तैयार किया जाने की आवश्यकता नही रह जाती है। जवाबदेही प्रस्तुत होने पर शहादत वादी में वादी सुलोचना पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी ग्राम कोलसिया द्वारा मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है।

शहादत प्रस्तुत होने के पश्चात् बहस वकील पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम कोलसिया 1036, 1068, 1454/977, 1455/977, 977 रकबा 0.64, 1.47, 0.68, 0.25, 1.00 कुल किता 05 कुल रकबा 4.04 हैक्टर की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 है जिसमें वादिया के हक हिस्से व कब्जे काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा भारत सरकार द्वारा जारी आधारा कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा परिवार राशन कार्ड आदि में दर्ज है। तथा उक्त संबध में तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट में भी वादिया का नाम सुलोचना पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी कोलसिया होना प्रमाणित होता है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा भी नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। उक्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट यह साबित होता है कि रोशनी देवी पत्नी रोहिताश एवं सुलोचना देवी पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी कोलसिया दोनो नाम एक महिला का नाम है जो वादिया का नाम है। वादिया को राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकार है। वादिया ने नाम दुरूस्त करवाने के संबंध मे अपना मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र भी पेश किया गया जिमसें भी वादिया द्वारा अपना सही नाम रोशनी पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी कोलसिया के स्थान पर सही नाम सुलोचना पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी कोलसिया होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोलसिया आराजी खसरा नम्बर 1036, 1068, 1454/977, 1455/977, 977 रकबा 0.64, 1.47, [illegible] कुल किता 05 कुल रकबा 4.04 हैक्टर में दर्ज खातेदार काश्तकार रोशनी देवी पत्नी रोहिताश जाति जाट [illegible] कोलसिया के स्थान पर सुलोचना देवी पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी कोलसिया [illegible] घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार [illegible] अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान [illegible] अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:28 IST
Reason: SelfAttested

ए. [illegible] (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

5

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) मुकाम बईजलास नवलगढ
दमयंती कंवर (आर0ए0एस0) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ.

दावा बाबत इस्तकरारहक, रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम व
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021/750
मुकदमा नम्बर 184/2020 (सुलोचना पत्नी रोहिताश बनाम तहसीलदार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर0ए0एस0),ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), **नवलगढ बहाजिरी.** वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब–मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.08.2021 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम कोलसिया आराजी खसरा नम्बर 1036, 1068, 1454/977, 1455/977, 977 रकबा 0.64, 1.47, 0.68, 0.25, 1.00 कुल किता 05 कुल रकबा 4.04 हैक्टर में दर्ज खातेदार काश्तकार रोशनी देवी पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी कोलसिया के स्थान पर सुलोचना देवी पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी कोलसिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 31.08.2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	4.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:28 IST
Reason: SelfAttested